प्रेषक
देवेन्द्र नाथ गोस्वामी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ. टी. सी.)
संत कबीर नगर

सेवा में
श्रीमान महानिबंधक
माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय
प्रयागराज

द्वारा
श्रीमान जनपद न्यायाधीश
संत कबीर नगर

विषयः माननीय न्यायालय के पत्र संख्या 12845 /IV-3697/Admin(A) दिनांकित 23 सितम्बर 2024 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के विभिन्न शासनादेशों के अधीन सेवाओं के योग एवं पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने हेतु पुनः अभ्यावेदन के प्रेषण के सम्बन्ध में

महोदय

उपरोक्त वर्णित विषय के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि

1. वर्तमान न्यायिक सेवा में आने से पूर्व प्रार्थी केन्द्रीय सरकार के रक्षा लेखा विभाग में रक्षा लेखा महानियंत्रक के नियंत्रणाधीन दिनांक 30.06.2006 से दिनांक 14.05.2009 तक लेखा परीक्षक के पद पर कार्यरत था तथा केन्द्रीय सरकार की सेवा में कार्यरत रहते हुए उचित माध्यम से सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारी की उचित अनुमति से राज्य सरकार के अधीन सेवा हेतु आवेदन किया था; जिसमें अंतिम रूप से चयनित होने के उपरांत प्रार्थी द्वारा उचित माध्यम से तकनीकी त्यागपत्र (**संलग्नक I**)देकर न्यायिक सेवा में दिनांक 15.05.2009 के पूर्वाह्न में कार्यभार ग्रहण किया गया है । प्रार्थी की वर्तमान सेवा नई पेंशन योजना से आच्छादित है । परन्तु भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा दिनांक 03.03.2023 को निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 57/05/2021-P&PW(B) के आधार पर प्रार्थी के केंद्रीय सरकार के अधीन दिनांक 30.06.2006 से दिनांक 14.05.2009 तक की सेवा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हो चुकी है ।

2. प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के निम्नलिखित शासनादेशों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के अधीन की गयी पूर्व की सेवा को वर्तमान न्यायिक सेवा के साथ योग किये जाने तथा पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने की याचना की जा रही है:

(I) वित्त (सामान्य) अनुभाग -3-संख्या सा-3-1239 (1)/दस-917-79- लखनऊ, दिनांक 13 सितम्बर 1982
(II) वित्त (सामान्य) अनुभाग -3 -882/दस-910-84 लखनऊ, दिनांक 9 मई 1985
(III) वित्त (सामान्य) अनुभाग -3 -728/दस-98-901-98 लखनऊ, दिनांक 10 जुलाई 1998
(IV) वित्त (सामान्य) अनुभाग -3 -1984/दस-2001-901-98 लखनऊ, दिनांक 28 दिसम्बर 2001
(V) वित्त (सामान्य) अनुभाग -3 -संख्या- सा-3-1118/दस-2011-301(09)/2003 टी. सी. लखनऊ दिनांक 16 सितम्बर 2011

3. शासनादेश वित्त (सामान्य) अनुभाग -3 -728/दस-98-901-98 लखनऊ, दिनांक 10 जुलाई 1998 उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन संविलियन मांगने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के प्रयोजन से सेवा को गिने जाने के सम्बन्ध में है । उक्त शासनादेश का प्रस्तर (2) यह उपबंधित करता है कि यदि भारत सरकार का कर्मचारी राज्य सरकार के उपक्रम/निगम में आता है और संविलीन हो जाता है तो यदि दोनों पद पेंशनेबुल है तो उसके द्वारा दोनों पदों पर की गई अर्ह सेवा के योग पर नैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे। इस शासनादेश को प्रार्थी शासनादेश वित्त (सामान्य) अनुभाग -3 -1984/दस-2001-901-98 लखनऊ, दिनांक 28 दिसम्बर 2001 एवं वित्त (सामान्य) अनुभाग -3 -संख्या- सा-3-1118/ दस-2011-301(09)/2003 टी. सी. लखनऊ, दिनांक 16 सितम्बर 2011 के साथ मिला कर पढ़े जाने का निवेदन करता है । शासनादेश दिनांकित 28 दिसम्बर

D. N. Goswami

2001 यह उपबंधित करता है कि शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 1998 की व्यवस्था 'स्वायत्तशासी निकाय" में लागू की जानी है, "उपक्रम/निगम में नहीं। अतएव शासनादेश में जहाँ-जहाँ "निगम/उपक्रम" शब्द का प्रयोग किया गया है उसे सदैव से विलोपित किया गया समझा जाए और उसके स्थान पर "स्वायत्तशासी निकाय" शब्द स्थापित माना जाए तथा "स्वायत्तशासी निकाय" का आशय ऐसे निकाय से है जिसका वित्त पोषण पूर्णतः अथवा उसके 50% से अधिक के व्यय की पूर्ति राज्य सरकार के अनुदानों से होती है। स्वायत्तशासी निकाय में राज्य सरकार के संविधिक निकाय सम्मिलित होंगे परन्तु राज्य सरकार की वित्तीय संस्थायें/बैंक शामिल नहीं होंगे। इस शासनादेश की व्यवस्था के अधीन केवल उसी सेवा को जोड़ा जाएगा जो कि सरकार/स्वायत्तशासी निकाय के संगत नियमों के अधीन पेंशन के लिए अर्हक मानी जाती है।

4. शासनादेश दिनांकित 16 सितम्बर 2011 का प्रस्तर 3 (1) यह उपबंधित करता है कि केन्द्र सरकार अथवा ऐसी राज्य सरकारों जिनके कर्मचारियों की पेंशन हेतु अर्हकारी सेवाएं, सेवा निवृत्तिक लाभों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन की गयी अर्हकारी सेवाओं के साथ जोड़े जाने का पारस्परिक समझौता है, के ऐसे कर्मचारी जो केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे, तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त होते है तो वह दिनांक 01 अप्रैल, 2005 के पूर्व प्रभावी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे। केन्द्र सरकार की अनुदानित संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें केन्द्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना के समान पेंशन योजना लागू रही हो, के कार्मिक जो राज्य सरकार के अधीन नियुक्त होते हैं, भी इस व्यवस्था से आच्छादित होंगे । चूंकि प्रार्थी केन्द्रीय सरकार की सेवा से उचित माध्यम से सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारी की उचित अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन पद के लिये आवेदन किया है तथा केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रार्थी द्वारा की गयी सेवा उक्त सरकार के आदेश संख्या – प्रशा/1 अ/1004/स.ले.अ दिनांक 21.09.2023(**संलग्रक II**) के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित हो चुकी है, इस आदेश को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के शासनादेश वित्त (सामान्य) अनुभाग -3 -728/दस-98-901-98 लखनऊ, दिनांक 10 जुलाई 1998 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अधीन की गयी सेवा का योग वर्तमान सेवा के साथ किये जाने की याचना करता है साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के शासनादेश वित्त (सामान्य) अनुभाग -3 -संख्या- सा-3-1118/ दस-2011-301(09)/2003 टी. सी. लखनऊ, दिनांक 16 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रार्थी वर्तमान सेवा को भी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने का निवेदन करता है ।

5. शासनादेश वित्त (सामान्य) अनुभाग -3 -1239 (1)/दस-917-79- लखनऊ, दिनांक 13 सितम्बर 1982 भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन प्रदत्त अस्थायी सेवा के पेंशनीय भार के विभाजन के सम्बन्ध में है । जो यह उपबंधित करता है कि ऐसे कर्मचारी जो केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन अस्थायी पदों पर कार्य करते हुए उचित माध्यम से संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी की उचित अनुमति से राज्य/केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों के लिये आवेदन करते हैं उनके पेंशनीय भार का विभाजन सम्बन्धित सरकार द्वारा सेवा के अनुपात में किया जाएगा । प्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार की सेवा में कार्यरत रहते हुए उचित माध्यम से सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारी की उचित अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन पद के लिये आवेदन किया गया है । उक्त अनुमति की छाया प्रति **संलग्रक III** के रूप में संलग्न है । उपरोक्त के अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार की सेवा में दिनांक 30.06.2006 को कार्यभार ग्रहण किया गया था इस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा भाग II कार्यालय आदेश (Part II Order) संख्या 128 दिनांकित 06.07.2006 जारी करते हुए प्रार्थी को खाता संख्या 8337577 जारी किया गया था (**संलग्रक IV**) । शासनादेश वित्त (सामान्य) अनुभाग -3 -882/दस-910-84 लखनऊ, दिनांक 9 मई 1985 यह उपबंधित करता है कि अस्थायी कर्मचारी के समान उपरोक्त शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 1982 में जारी आदेशों का लाभ स्थायी कर्मचारियों के मामलों में भी समस्त परिस्थितियों में दिया जायेगा।

6. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के पत्र संख्या 12845 /IV-3697/Admin(A) दिनांकित 23 सितम्बर 2024 के अनुपालन में इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व प्रेषित प्रार्थना पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के अधिसूचना संख्या- सा-3-1118/ दस-2011-301(09)/2003 टी. सी. लखनऊ, दिनांक 16 सितम्बर 2011 के प्रस्तर 3 (1) के लाभ की याचना की गयी थी । अतः विनम्रतापूर्वक निवेदन करना है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पूर्व में प्रेषित प्रार्थना

D. N. Goswami

पत्र के अनुक्रम में मानते हुए प्रार्थी के पूर्व के सेवा की सेवा पुस्तिका एवं वर्तमान सेवा की सेवा पुस्तिका को आहूत कर उन्हें पूर्व में प्रेषित प्रार्थना पत्र व समस्त प्रपत्रों के साथ शासन अग्रसारित करने की कृपा करें।

सादर

दिनांकः 27.09.2024

भवदीय

D. N. Goswami 27/09/2024
(देवेन्द्र नाथ गोस्वामी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ. टी. सी.)
संत कबीर नगर

कार्यालय जिला न्यायाधीश, संत कबीर नगर

पत्रांकः- 1456/I दिनांकः- 27.9.24

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित ।

27/09/24
जिला न्यायाधीश
संत कबीर नगर

Consolidated Details with respect to Counting of previous service

Name of the Officer	Devendra Nath Goswami
Designation in U.P.Nyayik Sewa/U.P.H.J.S.	Additional District Judge
Date of Joining in U.P.Nyayik Sewa/U.P.H.J.S.	15.05.2009 (F/N)
Appointing Authority	Government of Uttar Pradesh
Date of retirement on superannuation	31.07.2042
Details of previous service	
Designation/Post held in previous service	Auditor
Department/Office under which previous service was rendered	Defence Accounts Department headed by Controller General of Defence Accounts
Date of joining in previous service	30.06.2006
Nature of employment in previous service (Temporary/Permanent)	Permanent
Government under which previous service was rendered (Central/State)	Central
Date of relieving in previous service	14.05.2009 (A/N)
Whether previous service rendered was under Old Pension Scheme or New Pension Scheme	Old Pension Scheme
Mention relevant Government Order(s) vide which past service benefits is claimed as well as particular provision of the Government Orders, applicable in his/her case (annex copy of G.O.s).	(1) वित्तअनुभाग (सामान्य) -3-संख्या सा-3-1239)1-दस/(917-79 -लखनऊ, दिनांक13 सितम्बर 1982; (2)वित्त- अनुभाग (सामान्य) 3- 882/दस-91-084 लखनऊ, दिनांक 9 मई1985 ; (3)वित्त- अनुभाग (सामान्य) 3- 728/दस-98-901-98 लखनऊ, दिनांक 10 जुलाई 1998; (4)वित्त- अनुभाग (सामान्य) 3- 1984/दस-2001-901-98 लखनऊ, दिनांक 28 दिसम्बर2001; (5)वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 संख्या-सा-3-1118/दस-2011-301(09)/2003 टी. सी. लखनऊ: दिनांक: 16 सितम्बर 2011
Remark(s), if any	NIL

D. N. Goswami
27/09/2024